पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या — 251 / 2024
नवान :

1. जिंजा पत्नी सतार मो0 जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 09 गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादीया

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः—1 अधिवकता श्री रियासत अली :—वादीया
2 राजपैरोकार

डिक्री दिनांक 11/2/25

ज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष कील वादीया श्री रियासत अली व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर द वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद दीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 1 एम.के.एस ए जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 3/4, चकनं0 2 एम.के.एस बी के जमाबन्दी वत 2075 ता 78 के खाता सं0 3/2, चकनं0 8 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 खाता सं0 3/4, चकनं0 5 एस.बी.एन जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 2/2 में र्ज वादीया का नाम अजीजाबीबी पत्नी सतारमोहम्मद के स्थान पर सही नाम जिंजा पत्नी तार मो0 नाम दर्ज किया जावे। अगर प्रार्थीया पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या ई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित या जाता है कियदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम यालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा यपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

; पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner